

भारत में वन्यजीव संरक्षण

प्रलमिस के लयि:

वन्यजीव अपराध नयित्रण ब्यूरो, वन्यजीव के लयि संवैधानकि प्रावधान

मेन्स के लयि:

वन्यजीव अपराध नयित्रण ब्यूरो, वन्य जीवन के लयि संवैधानकि प्रावधान, अवैध वन्यजीव व्यापार का प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हालया आँकड़ों के अनुसार [वन्यजीव अपराध नयित्रण ब्यूरो](#) (WCCB) और राज्य वन तथा पुलिस अधिकारयिों ने पछिले तीन वर्षों (2018-2020) के दौरान भारत में जंगली जानवरों की हत्या या अवैध तस्करी के लगभग 2054 मामले दर्ज़ कयि गए है ।

- इसे नयित्तरति करने के लयि WCCB ने राज्य प्रवर्तन एजेंसयिों के समन्वय के साथ कई प्रजातयिों के वशिषिट प्रवर्तन अभयान चलाए है ।
- WCCB देश में संगठति वन्यजीव अपराध से नपिटने के लयि पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापति एक वैधानकि बहु-अनुशासनात्मक नकियाय है । इसका मुख्यालय नई दलिली में है ।

प्रमुख बदि:

• अवैध वन्यजीव व्यापार का प्रभाव:

- अवैध वन्यजीव व्यापार से उत्पन्न मांगों के कारण प्रजातयिों वल्लिपूत होने के कगार पर है ।
- इसके अवैध व्यापार के कारण वन्यजीव संसाधनों का अत्यधिक दोहन पारस्थितिकि तंत्र में असंतुलन पैदा करता है ।
- अवैध व्यापार संघ के हसिसे के रूप में अवैध वन्यजीव व्यापार देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करता है और इस तरह सामाजकि असुरक्षा पैदा करता है ।
- जंगली पौधे जो फसलों के लयि आनुवंशकि भनिनता प्रदान करते है (कई दवाओं के लयि प्राकृतिकि स्रोत) अवैध व्यापार के कारण संकट में है ।

• वभिन्न प्रजात-वशिषिट प्रवर्तन संचालन:

- **ऑपरेशन सेव कूरमा:** जीवति कछुओं और कछुओं के अवैध शकिार, परविहन तथा अवैध व्यापार पर ध्यान केंद्रति करना ।
- **ऑपरेशन टर्टशील्ड:** इसे जीवति कछुओं के अवैध व्यापार से नपिटने के लयि लयिा गया था ।
- **ऑपरेशन लेसनो:** वन्यजीवों की कम ज्ञात प्रजातयिों में अवैध वन्यजीव व्यापार की ओर प्रवर्तन एजेंसयिों का ध्यान आकर्षति करना ।
- **ऑपरेशन क्लीन आर्ट:** नेवला हेयर ब्रश में अवैध वन्यजीव व्यापार की ओर प्रवर्तन एजेंसयिों का ध्यान आकर्षति करने के लयि ।
- **ऑपरेशन सॉफ्टगोल्ड:** शाहतोश शॉल (चरू ऊन से बने) अवैध व्यापार से नपिटने के लयि और इस व्यापार में लगे बुनकरों तथा व्यापारयिों के बीच ज़ागरूकता फैलाने के लयि ।
- **ऑपरेशन बीरबलि:** जंगली बलिली और जंगली पक्षी प्रजातयिों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लयि ।
- **ऑपरेशन वाइल्डनेट:** इसका उद्देश्य देश के भीतर प्रवर्तन एजेंसयिों का ध्यान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इंटरनेट पर बढ़ते अवैध वन्यजीव व्यापार पर ध्यान केंद्रति करना था ।
- **ऑपरेशन फ्रीफ्लाई:** जीवति पक्षयिों के अवैध व्यापार को रोकने के लयि ।
- **ऑपरेशन वेटमार्क:** देश भर के 'वैट मार्केट्स' में जंगली जानवरों के मांस की बकिरी पर रोक सुनश्चिति करना ।

• वन्यजीव संरक्षण के लिये भारत का घरेलू कानूनी ढाँचा:

◦ वन्य जीवों के लिये संवैधानिक प्रावधान:

- [42वें संशोधन अधिनियम, 1976](#) से वन और वन्य पशुओं तथा पक्षियों का संरक्षण राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- संवैधानिक अनुच्छेद 51 A (G) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में [अनुच्छेद 48 ए](#) में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के जंगलों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

◦ कानूनी ढाँचा:

- [वन्यजीव \(संरक्षण\) अधिनियम, 1972](#)
- [पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986](#)
- [जैव विविधता अधिनियम, 2002](#)

• वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग:

- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES)
- वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS)
- जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD)
- विश्व वरिष्ठ अभिसमय
- रामसर अभिसमय
- वन्यजीव व्यापार नगिरानी नेटवर्क (TRAFFIC)
- वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (UNFF)
- अंतरराष्ट्रीय वहेलिंग आयोग (IWC)
- अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)
- ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)

स्रोत- द हट्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/wildlife-conservation-in-india>

